7/A

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 10/19 तारीख रज्जू– 16/07/19

रामावतार पुत्र नाथ्या जाति मीना उम्र 36 साल पेशा काश्त निवासी तिन्दू तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा ।

–रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 13-8-19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 03/2019 में पारित निर्णय दिनांक /06/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम तिन्दु के आराजी ख0नं0 रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0नाली पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है, साथ ही अदालत मातहत द्वार उक्त प्रकरण में दिनांक /06/19 को निर्णय पारित किया गया है, जबकि पत्रावली के संलग्न गिरफतारी वारण्ट निर्णय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या 10/19 तारीख रज्जू– 16/07/19

...पुत्र नाथ्या जाति मीना उम्र 36 साल पेशा काश्त निवासी तिन्दू तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा ।  –रेस्पोडेन्ट

निर्णय  दिनांक 13-8-19

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 03/2019 में पारित निर्णय दिनांक .../06/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम तिन्दु के आराजी ख0नं0 ...4 रकबा 0.03 है0 किस्म गै0मु0नाली पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की ... तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें न तो अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है और न ही निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण किया है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिकमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को जारी नोटिस में भी अपीलान्ट के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है, साथ ही अदालत मातहत द्वार उक्त प्रकरण में दिनांक .../06/19 को निर्णय पारित किया गया है, जबकि पत्रावली के संलग्न गिरफतारी वारण्ट निर्णय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर